



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

डेंटल सर्जन

विज्ञापन क्रमांक 06/2019/ 28.11.2019

अभिलेखों सहित आयोग कार्यालय में आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने की

म.प्र. कर्मचारी राज्य बीमा सेवा, श्रम विभाग,

प्राप्ति की अंतिम तिथि

अंतिम तिथि 09.01.2020

मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन

21.01.2020

महत्वपूर्ण

- 1- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा म.प्र.कर्मचारी राज्य बीमा सेवा, श्रम विभाग , मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन हेतु डेंटल सर्जन के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस पद के लिए अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:-
शैक्षणिक:-
डेंटल सर्जरी में स्नातक या समकक्ष तथा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रीकृत।
टीप:- मध्यप्रदेश दंत चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी भारतीय दंत चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रीकृत मान्य होंगे।
रोजगार कार्यालय पंजीयन:-
अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- 2- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 10.12.2019 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 09.01.2020 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते हैं।
- 3- आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें की शुल्क भुगतान हो गया है। उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक (आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध) की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करें। जिन आवेदकों के अभिप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन पत्र दिनांक 21.01.2020 को सायंकाल 5:30 बजे तक आयोग कार्यालय को प्राप्त नहीं होंगे उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी एवं इस सन्दर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। डाक आदि के विलंब हेतु आयोग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा ऐसे सभी विलम्ब से प्राप्त आवेदन के लिफाफे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र भरने तथा प्रेषित करने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन पत्र तथा अभिलेख आयोग को प्रेषित करें।
- 4- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदनपत्रों में दिनांक 13.12.2019 से दिनांक 11.01.2020 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- 5- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें केवल आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in , www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा अंतिम चयन सूची जारी होने तक उसे अपरिवर्तित रखें।
- 6- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से म.प्र. कर्मचारी राज्य बीमा सेवा, श्रम विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पदनाम	श्रेणी			वेतनमान
	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमी लेयर)	कुल पद	
डेंटल सर्जन	01	01	02	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे

दो पद का विवरण

01	पद का नाम	:	दंत चिकित्सक (Dental Surgeon)
	विभाग का नाम	:	मध्य प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा, श्रम विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन
	श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	स्थायी
	वेतनमान	:	रुपये 15600-39100+5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। उक्त वेतनमान छठे वेतन आयोग के अनुसार है। सातवे वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान देय होगा।
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	चिकित्सकीय कार्य

तीन अनिवार्य अर्हता :

शैक्षणिक:-

डेंटल सर्जरी में स्नातक या समकक्ष तथा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रीकृत।

टीप:- मध्यप्रदेश दंत चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी भारतीय दंत चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रीकृत मान्य होंगे।

रोजगार कार्यालय पंजीयन:-

अभ्यर्थी का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

- टीप- (1) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हताये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
- (2) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुये पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
- (3) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।
- (5) उक्त पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित नहीं है अतः इस श्रेणियों के अभ्यर्थी अनारक्षित पद के विरुद्ध विचारित किए जाएंगे तथा उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु देय आयु सीमा में छूट तथा अन्य छूटों का लाभ देय नही होगा किन्तु नियमानुसार आवेदन शुल्क में छूट तथा यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति देय होगी।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरहित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः आयु सीमा:- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो

सात आयु संगणना तिथि:- 01.01.2020

अधिकतम आयु सीमा में देय छूट हेतु परिशिष्ट-1 का अवलोकन करें।

आठ अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

नौ चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर 24 अभ्यर्थियों को तथा उन अभ्यर्थियों को भी जो साक्षात्कार हेतु अर्ह अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक धारित करते हैं, साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा तथा अनारक्षित श्रेणी हेतु 41% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमी लेयर) हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

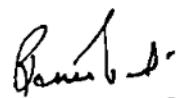
चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग द्वारा चयन परिणाम सुधारा जाएगा।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें केवल आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा अंतिम चयन सूची जारी होने तक उसे अपरिवर्तित रखें।

बारह अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

- (i) आयु सीमा की छूट परिशिष्ट -1
- (ii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट -2


सचिव


(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

(1) मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी ।

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अन्य पिछड़ा वर्ग, को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 (एक) (1 से 2) (दो) (1 से 2) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

- 1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
 1. www.mponline.gov.in
 2. www.mppsc.com
 3. www.mppsc.nic.in
- 2- आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com तथा www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
- 3- आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- 4- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्कैन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्कैनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
- 5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
- 6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।
- 7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात् उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

- 8- **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 13.12.2019 से 11.01.2020 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा।

आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

- (1) आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com के Download Formate लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः तथा एक छाया प्रति करायें।
- (2) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं (त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटि सुधार कर लें (देखें परिशिष्ट बिन्दु-8)। ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक की एक-एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)। आवेदक अपने अभिलेख उपयुक्त लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें। लिफाफे पर निम्नांकित प्रविष्टि अवश्य दर्ज करें।

विज्ञापन क्रमांक 06/2019 दिनांक 28.11.2019

पद का नाम - डेंटल सर्जन,

म.प्र. कर्मचारी राज्य बीमा सेवा, श्रम विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन हेतु आवेदन पत्र प्रति,

सचिव

प्रेषक:

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,

आवेदक का नाम

रेसीडेंसी एरिया

तथा पता

इंदौर (मध्य प्रदेश) पिन - 452001

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/ विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा।)

- (4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन पत्र दिनांक 21.01.2020 को सायंकाल 5:30 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जायेगा। आवेदन पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय (प्रातः 10:30 बजे से सायंकाल 5:30 बजे तक) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जायेगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10-

आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किए जायेंगे। डाक विभाग / अन्य प्रेषण माध्यम की त्रुटि से यदि आवेदन पत्र विलंब से प्राप्त होता है तो आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन पत्र आयोग को प्रेषित करें।

11-

आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमी लेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 250/-	रु. 500/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. 40/- (सेवाकर सहित) देय होगा। टीप:- अपरिहार्य कारणों से केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में आवेदन शुल्क वापस किया जाएगा किन्तु पोर्टल शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन - 0755-6720200

3- आवेदन की अंतिम तिथि

- (अ) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **09.01.2020** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।
- (ब) स्वप्रमाणित अभिलेखों सहित आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि **21.01.2020** (सायं 5:30 बजे तक) है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किए जायेंगे तथा जमा आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

4- आवेदक आयोग को प्रेषित किए जाने वाले आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आय संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां ।

जाति का प्रमाण-पत्र :- अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमी लेयर) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ----- के विज्ञापन क्रमांक 06/2019, दिनांक 28.11.2019 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मैं -----पिता श्री----- निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/-----जिला -----, मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। मैं -----जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा मध्य प्रदेश हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है।
2. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं शासन के नवीनतम परिपत्रों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती हूँ।

हस्ताक्षर-----

नाम-----

रोल नंबर -----

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अनुप्रमाणन-पत्र के साथ संलग्न करें)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

- 5- जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिचय (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त चयन के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकेगी ।

6- अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

- 01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
- 02 प्रतिरूपण किया हो; या
- 03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
- 04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- 05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

तब आयोग द्वारा :-

- (क) उसे उस चयन के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्थक ठहराया जा सकेगा और/ या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
- (ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
- (ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

- 7- अनर्हताये:- ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8- यात्रा व्यय का भुगतान :-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमी लेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो कही सेवारत न हों, को साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी। अभ्यर्थियों को इसके लिये वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-

- (01) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमी लेयर) के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- (02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी है तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हों।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, स्वयं के बैंक खाते का नम्बर, एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्कैन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

